(राजस्थान सरकार)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला कोटपूतली—बहरोड

पीठासीन अधिकारी : कल्पना अग्रवाल (I.A.S)
प्रार्थना पत्र 6ए : 05/2023
तारीख रजू : 15.09.2023

उनवान :

1. सरकार जरिये अमित कुमार यादव, प्रवर्तन निरीक्षक, बानसूर, जिला अलवर नया जिला कोटपूतली—बहरोड, राज0। — **प्रार्थी**

बनाम

1. मैसर्स कृष्ण कुमार, उचित मूल्य दुकान वार्ड नम्बर 17 से 21 नगरपालिका पावटा जिला जयपुर नया जिला कोटपूतली—बहरोड, राज0।

— **अप्रार्थी**

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जप्तशुदा 1439 कि0ग्रा0 गेहूँ को राजसात करने बाबत।

उपस्थित :—
1. विभागीय पैरोकार रसद, प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक 03.09.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 03.08.2022 को मैसर्स कृष्ण कुमार, उचित मूल्य दुकान वार्ड नम्बर 17 से 21 नगरपालिका पावटा जिला जयपुर (एफपीएस कोड 14672) की जांच की गई। वक्त जांच उचित मूल्य दुकान पर श्री रवि कुमार उपस्थित मिला जिसने स्वयं को उचित मूल्य दुकानदार का पुत्र होना बताया। थोडे समय पश्चात श्री कृष्ण कुमार उचित मूल्य दुकानदार स्वयं मौके पर उपस्थित हुआ जिन्होने बताया कि वे आवश्यक कार्यवश बाजार गये थे। मौके पर उचित मूल्य दुकान की जांच करने पर दुकान में 221 कटटे गेहूँ वजन लगभग 50 किलोग्राम प्रति कटटा कुल 11050 किलोग्राम गेहूँ पाया गया। वक्त जांच पोस मशीन से ऑनलाईन स्टॉक का सत्यापन किये जाने पर कुल एनएफएसए गेहूँ 961104 किलोग्राम होना पाया गया जबकि भौतिक सत्यापन करने पर लगभग 11050 किलोग्राम गेहूँ दुकान में पाया गया। इस प्रकार वक्त निरीक्षण उचित मूल्य दुकान पर 1439 किलोग्राम अधिक पाया। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा इस सम्बन्ध मे कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नही किया गया। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा कालाबाजारी की नियत से गेहूँ स्टॉक में रखकर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तो एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। उचित मूल्य दुकान में अधिक पाये गये 1439 किलोग्राम गेहूँ को जब्त किया जाकर श्री रतन लाल गुप्ता उचित मूल्य दुकान वार्ड नं 9 से 13 नगरपालिका पावटा एफपीएस कोड 14671 की सुपुर्दगी में दिया गया। चूंकि गेहूँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण की जाने वाली जनहित की क्षयशील वस्तु है। अतः धारा 6ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निरस्तारण के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

जिला कलक्टर
कोटपूतली—बहरोड़

2. प्रकरण अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। विभागीय पैरोकार ने जब्तशुदा 1439 किलोग्राम गेहूँ जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

3. बहस एक पक्षीय विभागीय पैरोकार रसद सुनी गई।

4. प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वक्त निरीक्षण उचित मूल्य दुकान पर 1439 किलोग्राम अधिक पाया। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा इस सम्बन्ध मे कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नही किया गया। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा कालाबाजारी की नियत से गेहूँ स्टॉक में रखकर राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के अन्तर्गत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का स्पष्ट उल्लंघन किया गया है। अतः धारा 6ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश फरमावे।

5. पैरोकार रसद द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 03.08.2022 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया कि अप्रार्थी द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के गेहूं का राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की एव आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किया जाना स्पष्ट जाहिर होता है। फलस्वरूप जब्त शुदा 1439 किलोग्राम गेहूँ को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

6. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है प्रकरण में अप्रार्थी के कब्जे से जब्त 1439 किलोग्राम गेहूँ को राजसात (Confiscate) किये जाने आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी कोटपूतली बहरोड को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त 1439 किलोग्राम गेहूँ निस्तारण से प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष के निर्धारित मद में जमा करा कर पालना सुनिश्चित करें।

7. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी कोटपूतली बहरोड़ को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

8. निर्णय आज दिनांक 03.09.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर कोटपूतली-बहरोड़ (राज.) सत्यमेव जयते

(कल्पना अग्रवाल)
आई.ए.एस.
जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड़